राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1911/2025	8(a)	नर्मदापुरम	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/2235/2025	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1501/2025	1(a)	देवास	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1199/2025	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	ADS raised by SEAC	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/1118/2025	1(a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/883/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/2236/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
8.	P2/2237/2025	1(a)	नीमच	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1176/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1496/2025	1(a)	देवास	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1036/2025	1(c)	धार	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	P2/1695/2025	7(da)	धार	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
13.	P2/2135/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/2145/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1661/2025	3(b)	मुरैना	Clinker Grinding Units	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1739/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1325/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	10824/2023	1(a)	देवास	पत्थर खदान	ToR अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु						

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/544859/2025; Case No. – P2/1911/2025 Prior Environment Clearance "Proposed 3 GW Solar Cell Manufacturing Plant at Plot No. P-20, Mohasa - Babai, Narmadapuram (Hoshangabad), Madhya Pradesh 461661. Total Plot Area – 24,811.40 Sq.mtr., Built-up Area- 1,43,386.31 sqmtr, Solar Cells - 0.88 Millions/day by Shri Vikas Shukla, Manager (HR & Admin), M/s Grew Energy Private Limited, Address: Shanti Corporate House Chiripal Bunglow Near Hira Rupa Hall Bopal Ambli Road Ahmedabad (Gujrat) – 380058. (Query Reply).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 के कार्यवाही विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि

प्रकरण आज सेक की 865वीं बैठक दिनांक 03/02/2026 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रकरण में एडीएस के अनुसार भारत सरकार के ओएम दिनांक 14 जनवरी 2025 के अनुसार एमपीपीसीबी से सीटीई/कमेंटस प्राप्त नहीं किए हैं तथा उल्लेख किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात एमपीपीसीबी से सीटीई प्राप्त करेंगे। इस प्रकरण में तीन अवसर दिये जा चुके हैं, एमपीपीसीबी से सीटीई/कमेंट्स के अभाव में प्रकरण पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंषित नहीं किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से सीटीई कमेंट्स प्राप्त कर प्रकरण के परीक्षण उपरांत अनुशंसा/अभिमत के साथ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

2. **Proposal No. SIA/MP/MIN/543451/2025 Case No. P2/2235/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for Producation Capicity Stone-29159 cum per annum & M Sand- 3239 cum per annum, at Khasra No. 91, Village Dundaseoni, Tehsil- Mohkhed, District Chhindwara (M.P.). by Shri Shivay Pandey, Partner, Pandey Metals, Rajpal Chowk, Bararipura Ward No. 29,Tehsil & Disttrict- Chhindwara (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा द्वारा आदेश क्र. 2672 दिनांक 21.03.2025 एवं एकल प्रमाण पत्र क्र. I/350758/2025 दिनांक 08.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. **Proposal No. SIA/MP/MIN/561057/2025 Case No. P2/1501/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Producation Capicity 8500 Cu.mt/year, at Khasra No.- 38/1, Vill.- Sumrakhedi, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas (M.P.) by Shri Raghuveer Singh, Lessee, R/o- 380, Kshipra, Dewas, District-Dewas, (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा आदेश क्र. 1832 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **बिन्ड मिल से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. **Proposal No. SIA/MP/MIN/556243/2025 Case No. P2/1199/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area - 2.320 Ha, For Producation Capicity - 48,997 Cubic Meter/Year, at Khasra No. - 12,13, Village- Lakhanpura, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P.) by Shri Amarnath Sharma, 46, Shanti Vihar Colony Thatipur Gwalior, District- Gwalior, (M.P.)- 474011**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण ने पाया कि यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ने 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में Appraisal किये बिना ही प्राधिकरण को प्रेषित (Referred) कर दिया है।

EIA Notification 2006 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा Appraisal कर, स्पष्ट अभिमत (Recommended or Not recommended) दिया जाना आवश्यक (Mandatory) है।

प्रश्नाधीन प्रकरण पुनः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि SEAC द्वारा प्रकरण में नियमानुसार Appraisal किया जाकर स्पष्ट अभिमत (Recommended or Not recommended) के साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को भेजा जाये एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा Apprisal किए बगैर प्रकरण, प्राधिकरण को भेजने (Referred करने) के लिये उत्तर दायित्व का निर्धारण कर प्राधिकरण (SEIAA) को अवगत कराया जावे।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/MIN/550867/2025 Case No. P2/1118/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine, in an area 3.084 ha. for expansion production capacity of from 29,835 Tonnes Per Year to 2,00,312 Tonne Per Year, at khasra no. 105 Part, Village-Malegaon, Tehsil –Sausar, District-Chhindwara (M.P.) by Shri Yagyadatta Sharma, R/o flat no 106 shri apartment archipuram new barapatharseonidistSeoni M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

".....The case was discussed in the light of SIEAA raised issues today on dated 27.01.2026 wherein the committee found Following :-

- *Certified Compliance report as per MoEF&CC OM dated 08.06.2022 and SEIAA OM - dated 30.05.2019 & 23.01.2020 from Regional Office, MoEF&CC , Bhopal.*
- *EIA report page 31, ToR no. (I) requires proper reply. Table 0-3 reveals production data from 2021 till 2026 and table 0-7 waste from 2021 till 2026.*
- *EIA report Table 4-6 and 4-7 reveals PM 10 and PM 2.5 monitored results 99.70 microgram/m3 and 58.14 microgram/m3 respectively i.e. closed to norms, hence mitigative measures are required to maintain the PM 10 and PM 2.5 parameters well within norms during operation of the mine, which is not practicable looking to many folds capacity expansion.*
- *Soil and surface water analysis results requires inference separate for different sources. Table no 0-11 soil, 0-17 SW and 0-14 GW.*
- *The proposed site image represents plantation on north and south side of the project area and excluding plantation area only 1.56 ha. area is mineable area available out of total 3.084ha area. Therefore, expansion from existing production capacity 29,835 tons/year to 2,00,312 tons/year, do not seem feasible in light of available mineable are 1.56 ha and conservation of existing plantation.*

In view of above facts and environmental sensitivity the case is not found fit for recommendation of EC for capacity expansion(existing production capacity 29,835 tons/year to 2,00,312 tons/year).."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं एवं जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष स्पष्टीकरण दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

6. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/468508/2024; Case No P2/883/2024: Prior Environment Clearance for Proposed Project "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex by M/S Sage Enterprises & Sage Associates which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Built-up Area- 29359.66 Sq. mt. by Shri Sanjeev Agrawal, Partner, "Sage Milestone" (Residential Apartment) Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.), Pin- 462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 में उक्त प्रकरण में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति **(EC)** प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त वाणिज्यिक परिसर परियोजना **M/S Sage Enterprises & Sage Associates** द्वारा **"Sage Corporate Office (Sage Tower)"** प्लॉट क्रमांक **51A/7 & 51A/8**, विद्या नगर, फेज–2, होशंगाबाद रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। उक्त परियोजना के विस्तार हेतु प्रस्ताव श्री संजीव अग्रवाल, पार्टनर **"Sage Milestone" (Residential Apartment) Address Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, District Bhopal (M. P.), Pin- 462011** द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल **4229.0** वर्गमीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल **29,359.66** वर्गमीटर **(Existing: 14640.02 Sq.mt. + Proposed: 14719.64 Sq.mt.)** है जो **1,50,000.00 sq.m** से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना **14** सितंबर **2006** के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची **8(ए)** के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845**वी बैठक दिनांक **17.11.2025** एवं **864**वी बैठक दिनांक **27.01.2026** में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है **845**वी बैठक के कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. **95** से **114** तक एवं **864**वी बैठक के कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. **72** से **78** तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Information Required</th><th>Details</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Project Name & details</td><td>Shri Sanjeev Agrawal, Partner, Proposed "Sage Milestone" (Residential Apartment) Address Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.)., Pin- 462011. Prior Environment Clearance forProposed Project is "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex by M/S Sage Enterprises & Sage Associates which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Built-up Area-29359.66 Square meter.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Description of Project</td><td>The proposed project is "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex by M/S Sage Enterprises & Sage Associates which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Project Proposal For</td><td>Expansion.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Area details (Existing/Proposed)</td><td>
<table>
<tr><th>Name of Product</th><th>Existing</th><th>Proposed</th><th>Total</th><th>Unit</th></tr>
<tr><td>Built-up Area</td><td>14640.02</td><td>14719.64</td><td>29359.66</td><td>Square meter</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Consent to Operate obtained from SPCB / UTPCC</td><td>OLD: CTE-56176; Outward No:115849,21/06/2022, New (Expansion): CTE-62990; Outward No: 123692, 11/09/2025</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Lat./Log. (As per Form-1).</td><td>A 23°10'52.39"N 77°27'11.72"E 2
B 77°27'13.89"E 77°27'13.89"E 3
C 23°10'50.45"N 77°27'14.66"E 4
D 23°10'49.42"N 77°27'12.61"E</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>T&CP Permission</td><td>Letter No. BPLLP/LP 220/6243 dated 25/02/2020.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>High rise Permission</td><td>Letter No. 3048 dt. 13/10/2021. (Building Height- 45 Meter).</td></tr>
</table>

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9.	**Water NoC**	Narmada water connection supply permission from Nagar Nigam, Bhopal vide letter no. 199, dated 27.10.2021
10.	**NOC for disposal of Municipal Solid Waste**	Nagar Nigam, Bhopal for MSW Disposal vide letter no. Q dated 15.04.2024.
11.	**Environmental Consultant**	Mr. Varun Bhardwaj & Rasmi Saraswat, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 845वी बैठक दिनांक 17-11-2025 एवं 864वी बैठक दिनांक 27-01-2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 941वीं बैठक दिनांक 24.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से ix को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **Extra Treated Waste Water NoC की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये।**

ii. **भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।**

iii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. **Proposal No. SIA/MP/MIN/551741/2025 Case No. P2/2236/2025 Prior Environment Clearance Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for ProducationCapicity 18,000 cubic meters per year, at Khasra No – 61, Kholpura,Tehsil: Singoli, District: Neemuch, (M.P) by Shree Maruti Stone Crusher, Owner, Gram - Kholpura Post-Thadod Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. बैरियर जोन में कौन–कौन सी प्रजाति के कितने पौधों का रोपण किया जायेगा एवं उनके सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।
2. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत पौधों के रोपण के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।
3. सी.ई.आर. गतिविधियों का प्लान प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टलप र प्रस्तुत की जावे। इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. **Proposal No.SIA/MP/MIN/518953/2025, Case No. P2/2237/2025 Prior Environmental Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for Production Capacity of Murrum 10,000 Cum per annum, at Khasra No. 1390/2, Village- Bharbhadiya, Tehsil Neemuch, District Neemuch (M.P.) by Shri Pankaj Rao Shinde, Lessee, 58, gram jamuniyakhurd, Neemuch (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा आदेश क्र. 404 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्के स्ट्रक्चर/शेड से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

9. **Proposal no. SIA/MP/MIN/564167/2026, Case No. P2/1176/2025 Prior Environment Clearance Murrum & Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.990 Ha., for production capacity of Murrum – 1000 cubic meter per year, Stone (Gitti) – 30000 cubic meter per year & M-sand – 2000 cubic meter per year, at khasra No. 1415/2/3, 1417/2/1, 1417/2/2 & 1417/1, Village Barndwa, Tehsil Tarana, Dist Ujjain (M.P.) by Smt. Shruti Garg, Lessee D/O Mukesh Garg, Ward No. 11, Naya Bazar, Maksi, Distrist Shajapur (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 2846 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal no. SIA/MP/MIN/560978/2025, Case No. P2/1496/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for production capacity of 15,000 Cu.mt/year, at Khasra No.- 38/1, Vill.- Sumrakhedi, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas (M.P.) by Shri Sachin Joshi, Owner, R/o- Sikharjidham Colony, Vikash Nagar Dewas, District-Dewas, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **865वी बैठक दिनांक 03.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा आदेश क्र. 810 दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **बिन्डमिल से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/RIV/556222/2025; Case No.P2/1036/2025: Prior Environment Clearance for Proposed Dhar Micro Lift Irrigation Project, to irrigate 55000 ha of 183 villages in Dhar, Manawar, Pithampur, Gandhwani, Sardarpur tehsil in Dhar, Madhya Pradesh by Shri Radhe Shyam Gupta, E.E., Narmada Development Division No. - 30 Manawar Distt. – Dhar (M.P.) - 454446. FoR-EIA Presentation. (Query reply).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. **परियोजना में 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस मंजूरी प्राप्त कर अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।**
2. प्रस्तुत EIA प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया गया अतः संशोधित CER गतिविधियों सहित संशोधित EIA प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वन भूमि में आता है, अतः वन भूमि में पाई जाने वाली जैव विविधता (स्थलीय एवं जलीय) का विस्तृत मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) अध्ययन कर प्रतिवेदन में समाविष्ट किया जाए। साथ ही परियोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ/लुप्तप्राय (RET – Rare, Endangered & Threatened) प्रजातियों की सूची प्रस्तुत करते हुए उनके संरक्षण हेतु प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया जाए।
4. प्रस्तुत आधारभूत (Baseline) पर्यावरणीय आंकड़ों की जानकारी संतोषजनक एवं पूर्ण नहीं है। अतः समस्त पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा, ध्वनि, जैव विविधता, सामाजिक–आर्थिक) से संबंधित आधारभूत आंकड़ों की पूरी और स्पष्ट जानकारी दोबारा प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 व 4 की जानकारी एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/550160/2025; Case No. – P2/1695/2025: Prior Environmental Clearance for Enviro Biocare Waste Management Services (EBWMS) At Plot No. 55 Hatod Industrial Area Village- Hatod Tehsil Sardarpur Dist Dhar (M.P.) , CBWTF with capacity 200kg/hr, Plot Area - 4200 Sq. mt. by Shri Shreyansh Mandloi, Partner, 70, Silver Hills, Behind ICICI Bank, Dhar, Distt. Dhar(M.P.) 454001. FoR - EIA Presentation.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत भूमि आवंटन दस्तावेज में औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन CBWTF हेतु दर्शाया गया है, जबकि प्रकरण बायो–मेडिकल वेस्ट परियोजना से संबंधित है। अतः बायो–मेडिकल वेस्ट (CBMWTF) स्थापना हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेखित भूमि आवंटन दस्तावेज प्रस्तुत करें।
2. Municipal Solid Waste तथा Extra Treated Waste Water के निस्तारण हेतु संबंधित NOC अथवा निष्पादन के लिए किए गए अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त NOC अथवा विधिवत निष्पादित अनुबंध पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाएं।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 व 2 की जानकारी एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/555349/2025, Case No. P2/2135/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.0 ha. for production capacity of 7500 m3/year, at Khasra No. 213/2, 216 & 217, Village - Nayak Charsi, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) by Shri Sanjay Bhawsar S/o Late Shri Premlal Bhawsar, R/o Malviya Ward, Khajnpur, Betul, - MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 935वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अधिकृत पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र अपलोड नहीं किया गया है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 5035–37 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/545987/2025, P2/2145/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.100 ha. for Production Capacity of Stone- 30,340 M3/year & M-Sand 20,227 M3/year, at Khasra No. – 31, 32, 33, Village- Chandbad Kadim, Tehsil – Berasia ,Distt. – Bhopal (M.P.) by Shri Nachiket Sing Bais, Ug-01 G -Star ,Hoshangabad Road, Ashima Mall Near ,Sagar Royal Villas, Tehsil Huzur District Bhopal (M.P.)-462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर भू–स्वामी की सहमति अपलोड नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा आदेश क्र. 2555 दिनांक 11.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के **रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/IND1/553929/2025; Case No. P-2/1661/2025; Prior Environment Clearance for Cement Industries, Clinker Grinding Units (BCI) Proposes to set up 200 TPD Green Field Clinker Grinding Units in Plot no S-40, Banmore Industrial Area, Dist - Morena (M.P.) by Shri Sudama Bansal, Partner, M/s Bhagwati Cement Industries, S-40, Industrial Area, A. B, Road, Banmore, Distt. Morena (M.P.)- 476444.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857**वी बैठक दिनांक **05/01/2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. यह प्रकरण M/s **Bhagwati Cement Industries** द्वारा प्लॉट क्रमांक S–40, बानमोर औद्योगिक क्षेत्र, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) में 200 टीपीडी क्षमता की ग्रीन फील्ड क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने हेतु श्री सुदामा बंसल, पार्टनर, M/s Bhagwati **Cement Industries, S-40**, इंडस्ट्रियल एरिया, ए.बी. रोड, बानमोर, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. प्रस्तावित परियोजना एक **Clinker Grinding Units** है यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 14 सितम्बर 2006 (संशोधित समय–समय पर) के अंतर्गत अनुसूची 3(b) सीमेंट संयंत्र (Cement Plant) श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 857वी बैठक दिनांक 05/01/2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र.1 से 11 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.NO.	Projects Details	
1.	Proposal /Activity Name Location of Project	Shri Sudama Bansal, Partner, M/s Bhagwati Cement Industries, S-40, Industrial Area, A. B, Road, Banmore, Distt.– Morena (M.P.) - 476444.
2.	Project Proposal For	New. Green Field Clinker Grinding Units.
3.	Project Cost (Rs.)	200 Lakhs.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

<table>
<tr><td>4.</td><td>Description of Project</td><td>BCI proposes to set up 200 TPD green field clinker grinding units in Plot no S-40 Banmore Industrial Area Dist Morena Madhya Pradesh. As per EIA notification dated 14thSeptember, 2006, as amended on 1st December, 2009; the project falls under category "B", project or activity '3(b)'.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Product & Capacity</td><td>Clinker Grinding Unit - 200 TPD.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>ToR details (Uploaded on Parivesh Portal 2.0).</td><td>➢ File No.- P2/1661/2025.Proposal Number SIA/MP/IND1/539783/2025.
➢ ToR Identification No.: TO25B1103MP5258139N.
➢ Online ToR issued vide letter Dated 11/06/2025.
➢ Cement – 200 TPD.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Declaration</td><td>No Construction Activity start at site letter copy uploaded dated 25/05/2025 & Affidavit copy dated 28/05/2025.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Public Hearing Status</td><td>Public Hearing – Exempted (Located within Industrial Estates).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Documentary Details</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Land Registry details</td><td>SUB REGISTRAR OFFICE MORENA, Stamping Date: 11-03-2025.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Gram Panchyat NOC</td><td>Gram Panchyat, Bamore, Distt. Morena (M.P.) issued vide letter no. Nil dated 25/03/2025.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>PWD NOC (Inter State Boundary details)</td><td>SDO office , Morena letter No. 298 dated 07/04/2025. (Dhoulpur – Rajasthan -- Distance – 44 km).</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>DFO NOC details.</td><td>DFO office , Morena letter No. 2917 dated 05/05/2025.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>SPCB Comments/CTE details.</td><td>PCB ID: 170596, Outward no, 123346 dated 09/05/2025, Consent to Establish Valid up to 31/07/2030.
<table>
<tr><th>SN</th><th>Product</th><th>Production Capacity /Y.</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>Ordinary Portland Cement (OPC)</td><td>30,000 MT/Year.</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>Portland Pozzolana Cement (PPC)</td><td>30,000 MT/Year.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Water Supply NOC.</td><td>Assistant Engineer (C-2) MPIDC office, Chambal Issued vide dated: 21/04/2025 (Details of Payment deposited on 09/04/2025 receipt no: RN1112403002357).</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Env. Consultant</td><td>Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.). Valid up to 22/03/2026.</td></tr>
</table>

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)**की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** की **941**वीं बैठक दिनांक **24.02.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न i से xv को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. PP should ensure that all the material/raw material should be kept in closed enclosure/covered area.

ii. All the treated waste water shall be recycled and reused in the processor for dust suppression and green belt development. No process waste water shall be discharged outside the factory premises and 'zero' discharge should be adopted.

iii. PP should install online pollution control monitoring system in the plant premises.

iv. PP should ensure to disposal of solid waste as per CPCB/MPPCB Norms.

v. PP should construct settling tank after proper filter media for rain water harvesting.

vi. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

vii. PP should ensure to provide proper traffic management to avoid an accident in front of existing school.

viii. All parking areas of trucks for transportation of raw material and finished products should be properly paved and concreted to reduce dust pollution. The service road & staff road should be developed separately.

ix. Proper parking bays for control of traffic movement within the plant area and plantation be done on the parking bays.

x. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.

xi. Necessary provision shall be made for fire-fighting facilities within the complex.

xii. PP should organize proper sanitation program in villages situated around the plant area. Besides this PP should construct low cost sanitation in school / education Institution specially for girls.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

xiii. PP should plan vocational training and skill development program in higher secondary schools and employment preference can be provided to local youth.

xiv. PP should conduct horticulture awareness training program for villagers to promote orchards for which the margin money and financial support to the villagers should be included in the CSR.

xv. All environmental parameters regarding air & water should be analyzed every year and in case of any deviation from the permissible limit, corrective measures be taken for improvement of environmental conditions.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/555827/2025; Case No. P2/1739/2025; Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Tata Consultancy Services Limited, IT/ITES SEZ Campus" at Scheme No. 151 & 169 B, Village Tigaria Badshah, Khasra Number(s) 141/1/1, 142/1/1/2, 142/1/2/2, 142/1/3/2, 142/2, 143/1/2, 143/2/2, 144/1/1/2, 14 4/1/2, 144/2/1/2, 145, 146/1/1, 153/1/2, 153/2/2, 153/2/1/2, 154/1, 154/2, 155/1,1 55/2, 156/1/1, 156/1/2, 156/2/1, 158/4/1/2, 158/5, 159, 160, 161, 162/1/1, 162/1/2, 162/2/1/1, 162/2/1/2, 162/2/2, 163, 165/1Part, 165/2/1/2Part, 165/2/2/2, 165/3/1, 165/3/2/2, 166/1/1/2, 166/1/3/1, 166/2/1/1, 166/2/1/2, 166/2/2, 166/2/3, 166/3 /1/1/1, 166/3/1/1/2, 166/3/1/3, 166/3/2/2, 167/1/1/1, 164/1/2, 164/2/1Part, 16 5/1Part, 165/2/1/2Part, 164/2/1 Part Indore and Village -Bada Bangarda, Khasra Number(s) 634/1/2Part, 583/3/2, 584/1/2, 634/1/2 Part, Super Corridor, Tehsil-Hatod, Distt-Indore (M.P.). Built-up Area - 86,838 m2 + 49,334.58 m2 = 1,36,172.58 m2 by Shri Tanmay Das, Manager, M/S Tata Consultancy Services Limited , IT/ITES SEZ at Scheme No. 151 & 169B, Vill. Bada Bangarda and Tigaria Badshah, Super Corridor, Tehsil Hatod, Indore, Distt. Indore (M.P.) 453112.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण **M/S Tata Consultancy Services Limited** द्वारा स्कीम क्रमांक 151 एवं 169-B, ग्राम तिगरिया बादशाह एवं ग्राम बड़ा बांगड़दा, सुपर कॉरिडोर, तहसील हातोद, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) में स्थित उक्त परियोजना विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि पर "IT/ITES SEZ Campus" के प्रस्तावित विस्तार (Expansion) हेतु श्री तनमय दास, मैनेजर, **M/S Tata Consultancy Services Limited , IT/ITES SEZ at Scheme No. 151 & 169B, Vill. Bada Bangarda and Tigaria Badshah, Super Corridor, Tehsil Hatod, Indore, Distt. Indore (M.P.) 453112** द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 404680 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 1,36,172.58 वर्ग मीटर (Existing: 86838 Sq.mt. + Proposed: 49,334.58 Sq.mt.) है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 16 तक अंकित है।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project	**SIA/MP/INFRA2/555827/2025 (Expanssion).**
2.	Project Name/Activity	**Shri Tanmay Das, Manager, M/s TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED, Tata Consultancy Services Limited, IT/ITES SEZ at Scheme No. 151 & 169B, Vill. Bada Bangarda and Tigaria Badshah, Super Corridor, Tehsil - Hatod, Indore, Distt. - Indore (M.P.) - 453112.** Cat. - 8(a). Building and Construction projects.
3.	Project Proposal For	Tata Consultancy Services Limited, Indore. IT /ITES SEZ Campus.
4.	Existing EC details	➢ MPSEIAA Case No.- 1739/2013. ➢ EC issued vide letter no. 1563- 64/SEIAA/14 date 28-10-14. (Built-up Area – 40,680 sq.m.).
5.	Project Cost.	73295.5 + 37828.56 = 111124.06 Lakhs.
6.	Description of Project	M/s. Tata Consultancy Services Limited, Indore is a leading IT/ITES services, consulting, and business solutions organization that delivers real results to global businesses through its consulting-led, integrated portfolio of IT, BPO, infrastructure, engineering, and assurance services. This is enabled by its unique Global Network Delivery Model™, recognized as a benchmark of excellence in software development. Tata Consultancy Services Limited, Indore has acquired a plot measuring 404680 m^2.
7.	Total Built-up area of the Project (Sq.mt.)	**86,838 m^2 + 49,334.58 m^2 = 1,36,172.58 m^2**
8.	SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.	PCB ID: 31450, Consent No:AW-61517, Outward No:121895,07/01/2025, consent up to 31/01/2028. (Building Construction Project - 86838 Square Meter).
9.	Location Lat./Log.	22°46'17.86"N 75°49'11.37"E 22°46'12.08"N 75°49'15.00"E 22°45'42.73"N 75°48'52.05"E 22°45'44.52"N 75°48'41.72"E
10.	Water requrement	822 KLD + 514 KLD = 1336 KLD.
11.	Water Supply NoC	Permission dt. 9.2.2026
12.	MSW NoC	PP submit MSW Charges Bill Copy (July 25).
13.	Extra Treated water NoC.	IMC Indore letter No. 1055 dated 13/07/2016
14.	T&CP Approval	Principle Approved

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15.	Building Permission.	IMC Indore issued vide letter dated PMT/IND/0152/3286/2025 dated 15/09/2025.
16.	MoEF & CC Crtified Compliance Report (CCR).	Uploaded on Parivesh Portal 2.0 (issued dated 06/06/2025).
17.	Land Documents details	Uploaded on Parivesh Portal.
18.	Number of vehicle to be parked	1437 ECS + 635 ECS = 2072 ECS.
19.	Water requirement details	Total water requirement -183.35 KLD Fresh water supply – 114.65 KLD.
20.	DG set capacity	3 x 2000 KVA + 2 x 2000 KVA Total 5x 2000 KVA.
21.	STP Capacity	650 KLD + 50 KLD (existing STP is sufficient to treat additional load)
22.	Rain water Harvesting Pits.	Existing 60 pits +6 new pits= 66 pits..
23.	Environmental Consultant	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/ 07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 854वी बैठक दिनांक 18-12-2025 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 941वीं बैठक दिनांक 24.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520012/2025, Case No. P2/1325/25, , Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for production capacity of 4500 m3 /year, at Khasra No. 11/1/2 & 11/2/2, Village- Deori, Tehsil- Multai, District- Betul (M.P.) by Shri Anand Rao Sarode S/o Shri Buddhu Sarode, R/o:Kamath, Tehsil: Multai District Betul (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 793वी बैठक दिनांक 14.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

'' प्रश्नाधीन प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई है कि मौके पर पर्यावरणीय स्वीकृति के बगैर ही खदान संचालित कर ली गई है। क्रेशर भी लगा हुआ है। शिकायत के साथ गिट्टी के ढ़ेर के फोटोग्रॉफ भी प्राप्त हुये है।

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि **SEAC** एवं **SEIAA** के सदस्य मौके पर जाकर खदान का निरीक्षण करे अथवा कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में प्राप्त करें। इसके उपरांत ही प्रकरण **SEIAA** के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।'*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 793वी बैठक दिनांक 14.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 9401–02 दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Case No 10824/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.74 ha., for production capacity of 19885 cum per year, at Khasra No. 37/1, Village-Dhamanda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) by Shri Babulalji Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, DistrictIndore (MP)-452013.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नहि कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती।"

प्राधिकरण द्वारा 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में निम्नानुसर निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.04.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण में ई.आई.ए. प्रतिवेदन के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर ToR प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा अनुसार प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक से नॉन ब्लास्टिंग का संशोधन अनुमोदित माईनिग प्लान प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पाया गया कि प्रकरण में SEAC द्वारा ToR जारी किये जाने की अनुशंसा नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के आधार पर प्रकरण पुन परीक्षण हेतु SEAC को स्पष्ट अनुशंसा/अभिमत हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

जिला सिंगरौली में अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। **(संलग्न शिकायत पत्र की प्रति)**

संदर्भित शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया कि मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा जिला सिंगरौली की नीलाम में प्राप्त रेत खदानें माह जनवरी 2024 से ग्राम रजमिलान, रैला, रम्पा कर्सुआराजा, हर्दी, भरसेंडी, तलवा, कारी, हर्रहवा, खम्हरिया, रेही, जियावन, तिनगुडी आदि में संचालित की जा रही है। उक्त ग्राम की रेत खदानों में जारी पर्यावरणीय अनुमति एवं प्रदूषण विभाग द्वारा जारी सीटीओ की निर्धारित मानक शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा शर्तों का पूर्ण रूप से उल्लघंन किया जा रहा है।

यह भी लेख किया गया है कि रेत ठेकेदार मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों में से मुख्य शर्तें जैसे वृक्षारोपण, फेसिंग, साईनेज बोर्ड एवं सीईआर के तहत निर्धारित कार्य भी नहीं किये गये है तथा नदियों के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है जिसे पीने से ग्रामीण आदिवासी तथा अन्य गॉव के लोगों में कई तरह की बीमारी फैल रहीं है जिससे आमजन मानस के बीच त्राहि–त्राहि मची हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त शिकायत के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया जाये कि जिला सिंगरौली की रेत खदानों के स्थल निरीक्षण हेतु एक जॉच दल गठित किया जाये जिसमें एक सदस्य SEIAA का भी सम्मिलित किया जाये। जॉच दल द्वारा शिकायत के समस्त बिन्दु पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन एवं अवैध उत्खनन आदि विभिन्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थल निरीक्षण किया जावे एवं जांच में विभिन्न पहलुओं का समावेश करते हुए स्पष्ट अभिमत के साथ 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन SEIAA को प्रस्तुत किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC

    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Annex-2

Standard Conditions related to Activity 3 (b) Cement Plant All Stand alone grinding units Category B projects

1. Any enhancement of capacity, change in technology, modernization and scope of working shall again require prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.

2. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

3. All parameters listed in Environmental Monitoring Plan approved by SEAC must be monitored at approved locations and frequencies.

4. All the commitment made regarding issues raised during the public hearing /consultation meeting shall be satisfactorily implemented. Item-wise details along with time bound action plan should be prepared and submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal. Implementation of such program shall be ensured as office Memorandum dated 18.05.12 of MoEF & CC, GoI and its amendments.

5. The applicant (Project Proponent) will take necessary measures for prevention, control and mitigation of Air, Water, Noise and Land Pollution including solid waste disposal as mentioned by him in Form-1, Final EIA reports and Environment Management Plan (EMP) in compliance with the prescribed statutory norms and standards

6. The project shall comply with the new MoEF & CC standards notified vide GSR 612 (E) dtd. 25.08.2014 with respect to cement sector.

7. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority.

8. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of raw material and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments.

9. All major sources of air pollution will be provided with bag filters to maintain particulate matter emissions within permissible limit. No solid waste will be generated in cement manufacturing process. Dust collected from various pollution control equipments will be recycled back into the process. Fly ash will be utilized in manufacturing of PPC grade cement and AAC blocks.

10. Secondary fugitive emission shall be controlled and maintained within the prescribed limits and regularly monitored. Guidelines /Code of practice issued by the CPCB/MPPCB in this regard shall be followed.

11. Regular monitoring of the air quality shall be carried out in and around the plant and records shall be maintained.

12. The gaseous emissions from various process units should conform to the load/mass based standards prescribed by the MoEF & CC and the State Pollution Control Board from time to time. At no time the emission level should go beyond the prescribed standards.

13. Cement grinding shall be carried out in closed cement mill. Further, provision of dust extraction and pollution control system consisting of highly efficient Bag Filters and ID Fan should be provided for Cement Mill, Clinker Silo, Fly Ash Storage Silo, Cement Silo, Wagon and Gypsum Crushing Plant with adequate stack height. Stack emissions shall be monitored at regular intervals and records maintained.

14. Transportation of fly ash to the plant should be brought through closed / covered tankers and stored in silo without any air pollution at transfer point.

15. Regular water sprinkling should be done on the roads inside the plant and other high potential areas to control the fugitive dust emission.

16. Suction head should be provided at all transfer dust emission.

17. Groundwater shall not be abstracted without prior permission of competent authority Le., Central Ground Water Authority.

18. Process effluent discharge is not permitted. No waste water will be generated from production process by adoption of dry grinding process. Cooling water will be recycled in the process, if any.

19. All the pollution control devices/equipment in the grinding unit shall be interlocked so that in the event of the pollution control devices/system not working, the respective unit (s) shut down automatically.

20. Clinker manufacturing at plant site is not permitted under this environmental clearance.

21. Solid waste viz dust generated shall be properly recycled and reutilized in the process itself.

22. Regular monitoring of influent and effluent, surface, sub-surface and ground water should be ensured and treated waste water should meet the norms prescribed by the MPPCB or described under the Environment (Protection) Act, 1986 whichever are more stringent..

23. Triple storied green belt shall be developed in at least 33% area in and around the cement plant as per CPCB guidelines to mitigate the effects of air emissions in consultation with local DFO.

24. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project

25. Ambient noise level should not exceed the permissible limit. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under EPA Rules, 1989 viz. 75 dB (A) (daytime) and 70 dB (A) (night-time) and its subsequent amendments.

26. All internal roads should be concrete /pitched / paved. Proper lighting and proper pathway inside the factory premises should be constructed to ensure safe vehicular movement. Provision of separate pathway for entry and exit of vehicles should be considered. Vehicles should conform to pollution under control (PUC) norms. Proper House Keeping shall be maintained within the premises. Solar lighting should be used as far as practicable.

27. Health and safety of workers should be ensured. Workers should be provided with adequate personnel protective equipment and sanitation facilities. Occupational Health Surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

28. Adequate measures to be adopted to ensure Industrial safety.

29. The implementation and monitoring of Environmental Management Plan should be carried out, as proposed.

30. The natural drainage pattern in the project area shall be maintained and storm water drain along the boundary and appropriate places shall be provided to collect runoff water/rain water for proper disposal to avoid water stagnation/ ponding within the project site.

31. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.

32. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.

33. The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year wise expenditure shall be reported to the MoEF & CC, Gol, and its Regional Office, Bhopal.

34. The Regional Office, MoEF & CC, Gol, Bhopal & MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan, and Environmental Monitoring Plan as approved by SEAC should be submitted to Regional Office, MoEF & CC, Gol, Bhopal & MPPCB within six months.

35. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during public hearing consultation shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC, Gol, Bhopal, MP PCB within six months.

36. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies (Panchayat and Municipal Bodies), District Collector and DFO as applicable and responsible for controlling the proposed projects who in tum has to display the same for 30 days from the date of receipt.

37. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the MoEF & CC, GoI and State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.enviornmentclearance.nic.in & www.mpselaa.nic.in & and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF & CC, GoI, Bhopal.

38. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the Regulatory Authority, viz. CPCB, MPCB and Regional office of MoEF, GoI at Bhopal on 1 June and 1 December of each calendar year.

39. Full Cooperation should be extended to the Officers and staff from the Ministry and its Regional Office at Bhopal/the CPCB/the SPCB during monitoring of the project.

40. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

41. These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 along with amendments and rules.

42. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

43. The Environmental Clearance shall be valid for a period of five years from the date of issue EC as per EIA Notification, 2006 Para 9.

44. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

45. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF & CC, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely: SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.

46. The environmental statement for each financial year ending 31 March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF & CC, GoI.

47. The project authorities shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of the project.